अनुसूची 14 –फारम सं०–562

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख..तक

जिला–.........राँची...................., दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–.........49...................सन्–.....2019–20...........।

वाद का प्रकार–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत दाखिल खारिज अपील वाद

अर्जीकार–प्रकाश प्रमाणिक वगैरह बनाम प्रतिपक्षी– अंचल अधिकारी, बुण्डू।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
29-09-2020	(see below)	

29-09-2020

आदेश

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–प्रकाश प्रमाणिक वो संतु कुमार प्रमाणिक, दोनों पे०–निकांत प्रमाणिक, साकिन–नवाडीह टोली बुण्डू, पो०+थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–375 R27/2018-2019/बुण्डू में दिनांक–06.01.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू	28	921	4224	03 डीसमील,
				4225	1.5 डीसमील,

प्लॉट नं०–4224 का चौहदीः–
उ०–प्लॉट नं० 4223, (सत्यभामा देवी),
द०–प्लॉट नं० 4221 वो 4226 ,
पू०–प्लॉट नं० 4225,
प०–प्लॉट नं० 4222 (परमानन्द गोराई)।

प्लॉट नं०–4225 का चौहदीः–
उ०–प्लॉट नं० 4223, (सत्यभामा देवी) ,
द०–प्लॉट नं० 4226,
पू०–प्लॉट नं० 4225 का अंश (सत्यभामा देवी),
प०–प्लॉट नं० 4224

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने आवेदन में कहते हैं कि अपीलार्थी ने उपरोक्त भूमि को विक्रेता उपेन्द्र प्रमाणिक वो विष्णु हजाम नवाडीह टोली बुण्डू से दिनांक–31.07.2018 को निबंधित डीड संख्या–445/431 के माध्यम से खरीदकर उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखलकार है। उक्त भूमि का नामांतरण आवेदन में क्रेता की विवरणी त्रुटिपूर्ण होने के कारण उक्त नामांतरण आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपील वाद को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, बुण्डू को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अभिलेखबद्ध निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–375 R27/2018-2019/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार नामांतरण आवेदन में क्रेता की विवरणी त्रुटिपूर्ण है। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।

पृष्ठ सं०–........(2)..........

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
	अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी से पुनः स्वच्छ आवेदन प्राप्त कर उन्हें सुनते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।	
	अंचल अधिकारी, बुण्डू को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।	
	लेखापित एवं संशोधित।	
	भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।	